न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 174/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/367 निर्णय दिनांक:28.05.2025

1. मनोहर सिंह पुत्र श्री भगवतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव आडसर पुरोहितान, तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. भंगवत सिंह पुत्र स्व. श्री शैतान सिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. विश्वराज सिंह पुत्र श्री भगवतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव आडसर पुरोहितान, तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर हाल निवासी आडसर हाउस, एस बी आई पी पी ब्रांच के सामने, सरद थाना रोड़, बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री जयदीप कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि प्रार्थीगण के नाम से एक संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नं. 875/45 तादादी 2.1565 हैक्टेयर रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है जिसका अलग से राजस्व रिकॉर्ड मे नक्शा बना हुआ है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि का 0.1671 हैक्टेयर रकबा कम है तथा प्रार्थीगण का खेत राजस्व नक्शा अनुसार नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि की उक्त दबी हुई भूमि की पत्थरगढी करवा कर मौके पर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे के अनुसार नई सीमा कायम की जानी है जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाये राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जा सके। प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाने के बाद भी आज दिनांक तक सीमा ज्ञान के अनुसार सीमा कायम नही की जा सकी है प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे के अनुसार सीमाये कायम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के खेत की भूमि दबी हुई होने के कारण नई सीमा कायम करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है इसलिए आज ही तहसीलदार को सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि ग्राम रोही आडसर पुरोहितान तहसिल श्रीडूंगरगढ में स्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है । प्रार्थना पत्र पूर्ण न्याय शुल्क पर व अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी खेत खसरा नं 875/45 तादादी 2.1565 हैक्टेयर रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा के आधार पर पत्थरगढी करवाई जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं पुलिस जाब्ता की मौजूदगी मे पत्थरगढी करवायें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि रोही ग्राम आडसर पुरोहितान के खसरा नम्बर 845/45 तादादी 2.1565 हैक्टेयर भगवंतसिंह पुत्र शैतानसिंह हिस्सा 1267/2810, मनोहरसिंह, विश्वराज सिंह, भगवंत सिंह हि. 3086/5620 व.हिव. जाति पुरोहित सा. देह की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपॉर्ट (संलग्न) अनुसार उक्त खसरे का राजस्व नक्शा मुताबिक जमाबंदी सही बना हुआ है। उक्त खसरे के सीमाज्ञान में खसरे के पूर्वी तरफ अन्य का पक्का निर्माण पाया गया जिसे सुना जाना उचित है। अतः राज्यहित को ध्यान में रखकर यदि निर्णय लिया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान के आधार पर उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवायें जाने हेतु निवेदन किया गया है। संक्षेप मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 875/45 तादादी 2.1565 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर एवं रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। विवाद की स्थिति में पुलिस जाब्ता लेकर सीमाज्ञान कर पत्थगढी करवाया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:30 IST
Reason: SelfAttested